BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 22 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध मादक पदार्थ के आरोपी को 08 माह 20 दिन का कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त साहिल पुत्र अजय गौतम निवासी मौ0 सराय झाझन बडी होली मेला थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को वर्ष- 2019 में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा 230 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर दिनांक 05.10.2019 को मुअसं- 841/19 धारा- 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हैं। जिसमे पुलिस द्वारा दिनांक 26.10.2019 को मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 22.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-04 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त साहिल को 08 माह 20 दिन व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर